

प्रेषक,  
नरेन्द्र भूषण,  
प्रमुख सचिव,  
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/ सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त उद्योग संघ, उत्तर प्रदेश।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2

अप्रैल  
लखनऊ:दिनांक: 13 मार्च, 2023

विषय:- "उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर (प्रथम संशोधन) नीति 2021" के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या- 4/2021/1792/78-2-2020-254एलसी /2019 दिनांक 28-01-2021 द्वारा "उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति-2021" अधिसूचित की गयी, जो अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 05 वर्ष अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई नीति / संशोधन किये जाने तक, जो भी पहले हो वैध थी।

2- उक्त "उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति-2021" का उद्देश्य वैश्विक तथा भारतीय निवेशकों से निवेश आकर्षित करके तथा डाटा सेन्टर उद्योग के स्थानीयकरण को सहयोग प्रदान करने के लिए एम.एस.एम.ई./स्टार्ट-अप्स को आकर्षित करके राज्य में एक विश्वस्तरीय डाटा सेन्टर ईको सिस्टम का निर्माण करना है, जिसके लक्ष्यों में राज्य में 250 मेगा वाॅट डाटा सेन्टर उद्योग विकसित किया जाना, राज्य में रू.20,000 करोड़ का निवेश आकृष्ट किया जाना था। तदक्रम में उक्त "उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति 2021" के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या- 22/2021/1274/78-2-2020-254एलसी/2019 दिनांक 23 सितम्बर 2021 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गये।

3- प्रदेश के विकास एवं समय की आवश्यकता के अनुसार राज्य में 900 मेगा वाॅट डाटा सेन्टर उद्योग विकसित किये जाने, रू.30,000 करोड़ का निवेश आकृष्ट किए जाने तथा कम से कम 08 अत्याधुनिक निजी डाटा सेन्टर पार्क्स स्थापित किये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत "उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति 2021" में संशोधन का औचित्य पाया गया। अतः मा0 मंत्रिपरिषद के स्तर पर दिनांक 03-11-2022 को सम्यक विचारोपरान्त लिए गये निर्णयानुसार आईटी एवं इले0 अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1399/78-2-2022-10(एम)/2021 दिनांक 7-11-2022 द्वारा "उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर (प्रथम संशोधन) नीति-2021" लागू की गई, जिसमें इस नीति के उद्देश्य एवं लक्ष्यों की पूर्ति हेतु निम्नवत् संशोधन एवं नवीन प्राविधान किये गये हैं:-

प्रस्तर संख्या	स्तम्भ-1 विद्यमान पूर्व व्यवस्था	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नवीन व्यवस्था
2.3 लक्ष्य	<ul style="list-style-type: none"><li>राज्य में 250 मेगा वाॅट डाटा सेन्टर उद्योग विकसित किया जाना</li><li>राज्य में रू 20,000 करोड़ का निवेश आकृष्ट करना</li><li>कम से कम 3 अत्याधुनिक निजी डाटा सेन्टर पार्क्स स्थापित करना</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>राज्य में 900 मेगा वाॅट डाटा सेन्टर उद्योग विकसित किया जाना</li><li>राज्य में रू 30,000 करोड़ का निवेश आकृष्ट करना</li><li>कम से कम 8 अत्याधुनिक निजी डाटा सेन्टर पार्क्स स्थापित करना।</li></ul>
3. सामान्य नियम एवं शर्तें	(ii) यह नीति अधिसूचना के उपरान्त प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों के लिए अनुमन्य है। निवेश किये जाने के साथ-साथ वाणिज्यिक उत्पादन भी नीति की अवधि के अन्दर आरम्भ किया जाना चाहिए। नीति की वैधता अवधि के विस्तार पर निर्णय इस नीति के अन्तर्गत गठित सशक्त समिति द्वारा	(ii) यह नीति अधिसूचना के उपरान्त प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों के लिए अनुमन्य है। निवेश किये जाने के साथ-साथ वाणिज्यिक उत्पादन भी नीति की अवधि के अन्दर आरम्भ किया जाना चाहिए। नीति की वैधता अवधि के विस्तार पर निर्णय इस नीति के अन्तर्गत गठित सशक्त समिति द्वारा लिया जायेगा। तथापि यदि नीति समाप्ति की तिथि से पूर्व के 3 वर्ष के



	समिति द्वारा लिया जायेगा।	अन्दर लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किया जाता है तो वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ करने के लिए एलओसी की निर्गमन तिथि से 3 वर्ष की अवधि उपलब्ध होगी।
	(iv) नीति के अन्तर्गत प्रस्तावित समस्त छूट/ सुविधाएं, लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किये जाने के उपरान्त ही अनुमन्य होंगी।	(iv) वित्तीय प्रोत्साहन लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किये जाने के उपरान्त अनुमन्य होंगे। यद्यपि, गैर-वित्तीय प्रोत्साहन पावती-पत्र निर्गत होने के बाद लागू होंगे।
6.2 डाटा सेन्टर इकाइयों	एक डाटा सेन्टर इकाई एक भवन/ केन्द्रीकृत स्थान के भीतर एक समर्पित सुरक्षित स्थान है जहाँ पर कम्प्यूटिंग तथा नेटवर्किंग उपकरण वृहद परिमाण में डाटा एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, वितरण अथवा उपयोग किये जाने के उद्देश्य से संग्रहीत हैं। इस नीति के अन्तर्गत कैप्टिव डाटा सेन्टर्स पर विचार नहीं किया जाएगा।	एक डाटा सेन्टर इकाई (>2 मेगावाॉट तथा <40 मेगावाॉट क्षमता) एक भवन/ केन्द्रीकृत स्थान के भीतर एक समर्पित सुरक्षित स्थान है जहाँ पर कम्प्यूटिंग तथा नेटवर्किंग उपकरण वृहद परिमाण में डाटा एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, वितरण अथवा उपयोग किये जाने के उद्देश्य से संग्रहीत हैं। इस नीति के अन्तर्गत कैप्टिव डाटा सेन्टर्स पर विचार नहीं किया जाएगा।
7.1 (ब) भूमि उपादान	(vi) यह उपादान नीति की अधिसूचना के उपरान्त केवल प्रथम 3 डाटा सेन्टर पार्क्स को प्रदान किया जाएगा।	(vi) यह उपादान नीति की अधिसूचना के उपरान्त केवल प्रथम 8 डाटा सेन्टर पार्क्स को प्रदान किया जाएगा।
7.1(द) विद्युत आपूर्ति	(i) दो ग्रिड लाइनों द्वारा विद्युत आपूर्ति: इस नीति की अधिसूचना के पश्चात राज्य में स्थापित प्रथम 3 डाटा सेन्टर पार्क्स को दोहरा ग्रिड विद्युत नेटवर्क प्रदान किया जाएगा, जिसमें प्रथम ग्रिड की लागत डाटा सेन्टर विकासकर्ता द्वारा वहन की जाएगी तथा द्वितीय ग्रिड की लागत ऊर्जा विभाग द्वारा वहन की जाएगी।	(i) दो ग्रिड लाइनों द्वारा विद्युत आपूर्ति: इस नीति की अधिसूचना के पश्चात राज्य में स्थापित प्रथम 8 डाटा सेन्टर पार्क्स को दोहरा ग्रिड विद्युत नेटवर्क प्रदान किया जाएगा, जिसमें से एक ग्रिड की लागत (दोनों ग्रिड में जो कम हो) की प्रतिपूर्ति आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा वहन की जायेगी तथा अन्य ग्रिड की लागत डाटा सेन्टर पार्क द्वारा वहन की जायेगी। मांग पर अन्य डाटा सेन्टर पार्क्स को लागू शुल्क पर दोहरी ग्रिड विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराई जायेगी। नीति की सीमा के कारण दोहरे ग्रिड प्रोत्साहन से वंचित हो गया कोई भी पूर्व अनुमोदित विद्यमान निवेश, इस धारा के अन्तर्गत मांग के आधार पर पात्र हो जायेगा।
8.3 भवन निर्माण मानदण्डों में विशेष प्राविधान	(ii) सब-लीजिंग: डाटा सेन्टर पार्क्स को बिना किसी सब-लीज/ हस्तान्तरण शुल्क के डाटा सेन्टर इकाइयों को भूमि/ भवन को सब-लीज करने की अनुमति दी जाएगी। डाटा सेन्टर पार्क्स द्वारा डाटा सेन्टर इकाइयों को भूमि/ भवन हस्तान्तरण पर सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा कोई फीस/ शुल्क प्रभारित नहीं किया जाएगा। “उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976” के अन्तर्गत उक्त फीस /शुल्क को प्रभारित किये जाने का अधिकार सम्बन्धित औद्योगिक प्राधिकरणों में निहित है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी।	(ii) सब-लीजिंग: डाटा सेन्टर पार्क्स को बिना किसी सब-लीज/ हस्तान्तरण शुल्क के डाटा सेन्टर इकाइयों/ एसपीवी को भूमि/ भवन को सब-लीज करने की अनुमति दी जाएगी। “उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976” के अन्तर्गत उक्त फीस/ शुल्क को प्रभारित किये जाने का अधिकार सम्बन्धित औद्योगिक प्राधिकरणों में निहित है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी।



	<p>(ii) <b>फ्लोर एरिया रेशियो:</b> डाटा सेन्टर पार्क्स और इकाइयों को 3.0+ 1.0 (क्रय योग्य) फ्लोर एरिया रेशियो की अनुमति दी जाएगी। भूमिगत पार्किंग, स्टोरेज तथा डीजल जनरेटिंग सेट्स हेतु उपयोग किए जा रहे स्थान को फ्लोर एरिया रेशियो का हिस्सा नहीं माना जाएगा।</p> <p>(viii) <b>बहुस्तरीय डी.जी. स्टैकिंग:</b> अग्नि सुरक्षा विभाग से अनापत्ति के अधीन बहुस्तरीय डीजी स्टैकिंग सहित डीजल जनरेटिंग सेट्स की स्थापना को अनुमति दी जाएगी और इसे फ्लोर एरिया रेशियो का हिस्सा नहीं माना जाएगा।</p> <p>(ix) <b>भूमि आच्छादन:</b> डाटा सेन्टर पार्क्स/ इकाइयों को 60 प्रतिशत तक भूमि आच्छादन की अनुमति होगी।</p>	<p>(ii) <b>फ्लोर एरिया रेशियो:</b> डाटा सेन्टर पार्क्स और इकाइयों को 3.0+ 1.0 (क्रय योग्य) फ्लोर एरिया रेशियो की अनुमति दी जाएगी। भूमिगत पार्किंग, स्टोरेज तथा डीजल जनरेटिंग सेट्स हेतु उपयोग किए जा रहे स्थान को फ्लोर एरिया रेशियो का हिस्सा नहीं माना जाएगा। डीजल जनरेटिंग सेट की स्थापना के लिये आवश्यक अतिरिक्त स्थान प्रदान किये जाने हेतु, अनुमन्य फ्लोर एरिया रेशियो से पृथक व अतिरिक्त, भवन उपनियमों में प्रदत्त सर्विस फ्लोर एरिया रेशियो की सीमा 40 प्रतिशत तक बढ़ायी जायेगी। तथापि प्राधिकरण के भवन उपनियमों के अनुसार न्यूनतम पूर्णता मानदण्डों के अनुपालन पर विचार करते समय डाटा सेन्टर पार्क/ इकाई को डीजल जनरेटिंग सेट की स्थापना हेतु फ्लोर एरिया रेशियो के उपयोग का विकल्प होगा, जिससे उनके द्वारा न्यूनतम पूर्णता मानदण्डों का अनुपालन किया जा सके एवं यथा प्राविधानित अतिरिक्त सर्विस फ्लोर एरिया रेशियो का लाभ बाद में उठाया जा सके।</p> <p>आंशिक पूर्णता: डाटा सेन्टर पार्क्स अपने अध्यासन प्रयोजनों तथा व्यापारिक परिचालन के लिए न्यूनतम पूर्णता मानदण्डों को पूरा किये बिना सम्बंधित प्राधिकरण से आंशिक पूर्णता प्रमाण-पत्र की प्राप्ति हेतु पात्र होंगे, जोकि सम्बंधित प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शर्तों एवं नियमों के अधीन होंगे।</p> <p>(viii) <b>बहुस्तरीय डी.जी. स्टैकिंग:</b> अग्नि सुरक्षा विभाग से अनापत्ति के अधीन बहुस्तरीय डीजी स्टैकिंग सहित डीजल जनरेटिंग सेट्स की स्थापना को अनुमति दी जाएगी।</p> <p>(ix) <b>भूमि आच्छादन:</b> डाटा सेन्टर पार्क्स/ इकाइयों को 60 प्रतिशत तक भूमि आच्छादन की अनुमति होगी। यदि आवंटन के समय पहले से अनुमति नहीं है तो 60 प्रतिशत की सीमा तक अतिरिक्त भूमि आच्छादन क्रय योग्य आधार पर उपलब्ध होगा।</p>
<p>8.4 विद्युत आपूर्ति</p>	<p>(iii) <b>डीम्ड डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेन्स :</b> डाटा सेन्टर पार्क विकासकर्ता/ संचालक डाटा सेन्टर पार्क के अन्दर विद्युत वितरण और उपभोग हेतु लाइसेन्स प्राप्ति हेतु पात्र होंगे।</p>	<p>(iii) <b>डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेन्स:</b> उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय-समय पर निर्गत विनियमों के अनुसार डाटा सेन्टर पार्क विकासकर्ता/ संचालक डाटा सेन्टर पार्क के अन्दर विद्युत वितरण और उपभोग हेतु लाइसेन्स प्राप्ति हेतु पात्र होंगे।</p>
<p>8.5 अन्य सहायता</p>	<p>(ii) <b>सार्वजनिक क्रय में वरीयता:</b> इस नीति के अन्तर्गत पंजीकृत डाटा सेन्टर इकाइयों सरकारी विभागों और उसके एजेन्सियों द्वारा अति प्रतिस्पर्द्धी दरों पर क्लाउड स्टोरेज के सार्वजनिक क्रय में वरीयता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी।</p>	<p>(ii) <b>सार्वजनिक क्रय में वरीयता:</b> इस नीति के अन्तर्गत पंजीकृत डाटा सेन्टर/ एज डाटा सेन्टर इकाइयों सरकारी विभागों और उसके एजेन्सियों द्वारा अति प्रतिस्पर्द्धी दरों पर क्लाउड स्टोरेज के सार्वजनिक क्रय में वरीयता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी।</p>




4- "उ0प्र0 डाटा सेन्टर (प्रथम संशोधन) नीति-2021" में उपरोक्त संशोधनों के अतिरिक्त निम्नलिखित अतिरिक्त प्राविधानों को भी नीति के अन्तर्गत सम्मिलित समझा जाये:-

प्रस्तर संख्या	स्तम्भ-1 विद्यमान व्यवस्था	स्तम्भ-2 नवीन प्राविधान/ व्यवस्था
प्रस्तर-3: (सामान्य नियम एवं शर्तों के अन्तर्गत नवीन बिन्दु (vii) )	-----	(vii) उत्तर प्रदेश में डाटा सेन्टर उपकरण निर्माता "उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020" के अनुसार प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे, जिनका उल्लेख "उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020" में ग्राह्य उत्पादों के रूप में किया गया है।
प्रस्तर 6 : परिभाषाओं के अन्तर्गत नवीन परिभाषा 6.4 :	-----	<b>6.4 एज डाटा सेन्टर</b> एज डाटा सेन्टर न्यूनतम 50 किलोवाॅट तथा अधिकतम 2 मेगावाॅट क्षमता वाला डाटा सेन्टर है जोकि डाटा उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों, उपकरणों/ मशीनों और प्रक्रियाओं के समीप स्थल पर स्थापित है और लागत में कमी के लिए विलम्ब-काल को कम करके और बैण्डविड्थ की आवश्यकता को कम करके बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव के लिए डाटा का उपयोग करती है।
प्रस्तर 6 : परिभाषाओं के अन्तर्गत नवीन परिभाषा 6.5	-----	<b>6.5 पावती-पत्र</b> निवेश प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के पश्चात नीति कार्यान्वयन इकाई की संस्तुति पर नोडल सस्था द्वारा पावती पत्र निर्गत किया जायेगा। यदि निवेश प्रस्ताव को लेटर ऑफ कम्फर्ट के लिए अन्तिम स्वीकृति नहीं मिलती है तो उपरोक्त पावती पत्र को शून्य और व्यर्थ माना जायेगा।
प्रस्तर 6 : परिभाषाओं के अन्तर्गत नवीन परिभाषा 6.6	-----	<b>6.6 स्पेशल पर्पज वेहिकल (एसपीवी):</b> एसपीवी डाटा सेन्टर पार्क को विकसित और/ या संचालित करने के लिये डाटा सेन्टर नीति-2021 के तहत अनुमोदित डाटा सेन्टर पार्क द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 के तहत निर्गमित एक अलग कानूनी इकाई है।
प्रस्तर-7: वित्तीय प्रोत्साहन के अन्तर्गत नवीन उप प्रस्तर 7.4	-----	<b>7.4 एज डाटा सेन्टर</b> यदि एक प्रस्ताव में न्यूनतम 25 एज डाटा सेन्टर्स को स्थापित किये जाने का प्रस्ताव दिया गया हो तो डाटा सेन्टर्स इकाईयों को प्रदान किये जाने वाले लाभ "एज डाटा सेन्टर्स" को भी प्राप्त होंगे।
प्रस्तर-7: वित्तीय प्रोत्साहन के अन्तर्गत नवीन उप प्रस्तर-7.5	-----	<b>7.5 उत्कृष्टता का केन्द्र</b> नीति के अन्तर्गत डाटा सेन्टर उद्योग में अनुसंधान, नवाचार तथा उद्यमिता और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स (सीओई) के रूप में विश्वस्तरीय बुनियादी ढाँचे के निर्माण की परिकल्पना की गई है। नीति का उद्देश्य प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों और/ अथवा उद्योग संघों/ उद्योग अथवा इस क्षेत्र के अनुसन्धान एवं विकास में प्रवृत्त किसी अन्य सरकारी/ निजी संस्था के सहयोग से उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई) की स्थापना किया जाना है। उत्कृष्टता केन्द्र परियोजना की लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम रू. 10 करोड़ तक) उ0प्र0 सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। सशक्त समिति ( <b>Empowered Committee</b> ) उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना को स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु सक्षम होगी।
उप प्रस्तर-8.4: विद्युत आपूर्ति के अन्तर्गत नवीन बिन्दु (vii)	-----	(vii) विद्युत आपूर्ति में वृद्धि: यूपीपीमीएल और उमकी डिस्कॉम द्वारा, वितरण प्रणाली की तकनीकी स्थितियों के आधार पर डाटा सेन्टर पार्क्स/ इकाइयों को आपूर्ति कोड में निर्धारित वोल्टेज स्तर के लिए अनुमन्य/ अनुबन्धित भार से अधिक बिजली की आपूर्ति (एमवीए में) की अनुमति दी जा सकती है।
संक्षिप्तीकरण: 16. ईडीसी-	-----	ईडीसी- एज डाटा सेन्टर
संक्षिप्तीकरण:17. एसपीवी-	-----	एसपीवी- स्पेशल पर्पज वेहिकल

5- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आईटी एवं इले0 अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-4/2021/1792/78-2-2020-254एलसी/2019 दिनांक 28-01-2021 द्वारा निर्गत "उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति-2021" के मूल प्राविधान तथा शासनादेश संख्या-22/2021/1274/78-2-2020-254 एलसी/ 2019 दिनांक 23 सितम्बर 2021 द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा-निर्देश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे। नीति के शेष प्राविधान यथावत रहेंगे।


6- कृपया उपरोक्तानुसार निर्गत किये जा रहे नवीन दिशा-निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,  
  
(नरेन्द्र भूषण)  
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या- (1)78-2-2023-10(एम)/2021 तद्विनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।
3. अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उ0प्र0।
7. प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी (नोडल संस्था)को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त प्राविधानों के अनुसार प्रकरण में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
  
(कुमार विनीत)  
विशेष सचिव